

अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार वि... को पेश हो।

4.10.23 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... अधिवक्ता गण
उपस्थित..... उपस्थित नहीं आए
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार वि... 8/11/23
को पेश हो।

8/11/2023
Not Proff
महोदय
वकील

बादिया बानीबाई के वारिसान श्री भांगीबाबू, बदरीचन्द,
इन्द्रकुमार, पारसबाई ने उपरोक्त केकर न्यायालय
द्वारा 'विचाराधीन' वाद प्रकरण सं. 131/2016 को
नोट प्रेस किया गया एवं प्रकरण को बन्द चलाना
नहीं चाहते हैं। बादिया के वारिसान श्री पदयाक श्री
मोहम्मद हसन खान एडवोकेट द्वारा की गई/बादिया
के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया बाद जाम अवलोकन वाद प्रकरण को नोट प्रेस
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमा
होकर नम्बर से कम है।

जमिंदार
नि. मिर्होद
व. 9/1/21

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

